अभिवचन पत्र

प्रपत्र ''बी''

(केवल अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

मैं ....पुत्र / पुत्री श्री...
उम्र..............................वर्तमान पता..आवेदक संस्था...........................
में..में के पद पर कार्यरत हूँ तथा संस्था की ओर से यह अभिवचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ ।

उपरोक्त संस्था ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सत्र ....से .... पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । उक्त आवेदन के संदर्भ में मैं संस्था की ओर से निम्नानुसार अभिवचन देता हूँ ।

1. परिनियम क्रमांक 27 के उपबन्धों के अनुसार महाविद्यालय को सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त 3 माह की अवधि के पूर्व शासी निकाय का गठन किया जाएगा ।

2. परिनियम क्रमांक 28 के उपबंधों के अनुसार समस्त शिक्षकीय तथा गेर शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां निर्धारित समायावधि में की जायेगी ।

3. प्रस्तावित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रापत होने के पूर्व परिनियम क्रमांक 27 व 28 के उपबंधों के अनुसार Endonment Fund हेतु निर्धारित धनराशि विश्वविद्यालय में इस हेतु घोषित प्रक्रियानुसार जमा की जाएगी ।

4. परिनियम क्रमांक 27 के उपबन्धों के अनुसार 'भवन निधि'' हेतु निर्धारित राशि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जमा की जायेगी ।

स्थान व तिथि

हस्ताक्षर व सील
(अध्यक्ष, शासी निकाय)

हस्ताक्षर व सील
(प्राचार्य)

टीप :–यह अभिवचन पत्र रू.100/– मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नोटरिंग कर प्रस्तुत किया करें ।

अभिवचन पत्र

प्रपत्र "ए"

(समस्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री.. उम्र.............................वर्तमान पता...आवेदक संस्था........................... में.....................................के पद पर कार्यरत हूँ तथा संस्था की ओर से यह अभिवचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ ।

उपरोक्त संस्था ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में सत्र ....से .... पाठ्यक्रम के संदर्भ में मैं संस्था की ओर से निम्नानुसार अभिवचन देता हूँ ।

1. आवेदित पाठ्यक्रम को विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने के पूर्व संस्था द्वारा किसी भी विद्यार्थी को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा, विश्वविद्यालय का नहीं ।

2. विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन द्वारा सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित समस्त नियमों का पालन संस्था द्वारा किया जाएगा ।

3. विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन द्वारा संस्था को समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों का पालन यथावत किया जायेगा ।

4. परिनियम क्र. 27 एवं 28 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति संस्था द्वारा की गई है / की जायेगी । जिन मानकों की पूर्ति नहीं हो सकी है, उनका विवरण पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उनकी पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में कर ली जाएगी ।

स्थान व तिथि

हस्ताक्षर व सील
(अध्यक्ष, शासी निकाय)

हस्ताक्षर व सील
(प्राचार्य)

टीप :– यह अभिवचन पत्र रू.100/– मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नोटरिंग कर प्रस्तुत किया करें एवं जो चरण लागू न हो उसे काट दें ।